रजिस्ट्री सं. डी. एल.–33004/99 REGD. NO. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)

PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 741] नई दिल्ली, शुक्रवार, जुलाई 14, 2006/आषाढ़ 23, 1928

No. 741] NEW DELHI, FRIDAY, JULY 14, 2006/ASADHA 23, 1928

विधि एवं न्याय मंत्रालय

(विधायी विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 14 जुलाई, 2006

का.आ. 1098(अ).—राष्ट्रपति द्वारा किया गया निम्नलिखित आदेश सर्वसाधारण की जानकारी के लिए प्रकाशित किया जाता है:-

आदेश

वाराणसी के श्री औघड़ प्रसांत "बाबा" द्वारा राष्ट्रपति को संविधान के अनुच्छेद 103 के खंड (1) के अधीन श्रीमती सोनिया गांधी, आसीन संसद सदस्या (लोक सभा) की अभिकथित निरर्हता के संबंध में तारीख 18 मई, 2006 की याचिका प्रस्तुत की गई है;

और उक्त याची ने अपनी याचिका में यह प्रकथन किया है कि 19-रायबरेली संसदीय क्षेत्र से लोक सभा के उप-निर्वाचन के लिए नामांकन फाइल करते समय श्रीमती सोनिया गांधी ने रिटर्निंग ऑफिसर के समक्ष अन्य बातों के साथ इस भाव का एक शपथ-पत्र फाइल किया था कि इटली में उनका पैतृक मकान है और उस कारण से वे संविधान के अनुच्छेद 102 के खंड (1) के उपखंड (घ) के अर्थांतर्गत किसी विदेशी राज्य के प्रति निष्ठा या अनुषक्ति को मान्यता अभिस्वीकार करती हैं;

और राष्ट्रपति द्वारा तारीख 1 जून, 2006 को संविधान के अनुच्छेद 103 के खंड (2) के अधीन एक निर्देश द्वारा इस प्रश्न के बारे में निर्वाचन आयोग की राय मांगी गई थी कि क्या श्रीमती सोनिया गांधी, आसीन संसद सदस्या (लोक सभा) संविधान के अनुच्छेद 102 के खंड (1) के उपखंड (घ) के अधीन संसद सदस्य बने रहने के लिए निरर्हित हो गई हैं या नहीं;

और निर्वाचन आयोग ने अपनी राय (उपाबंध द्वारा) दे दी है कि सुस्थापित संवैधानिक स्थिति को ध्यान में रखते हुए श्रीमती सोनिया गांधी की अभिकथित निरर्हता का प्रश्न, जो निर्वाचन-पूर्व निरर्हता का मामला है, संविधान के अनुच्छेद 103 के खंड (1) के अधीन राष्ट्रपति के समक्ष नहीं उठाया जा सकता है या राष्ट्रपति द्वारा विनिश्चय नहीं किया जा सकता है और यह कि वर्तमान याचिका इसलिए राष्ट्रपति के समक्ष चलने योग्य नहीं है;

अतः, अब, मैं, आ० प० जै० अब्दुल कलाम, भारत का राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 103 के खंड (1) के अधीन मुझे प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, यह विनिश्चय करता हूं कि वाराणसी के श्री औघड़ प्रसांत "बाबा" की याचिका चलने योग्य नहीं है ।

12 जुलाई, 2006

भारत का राष्ट्रपति

[फा. सं. एच.-11026(16)/2006-लेग. II]

एन.के. नम्पूतिरी, संयुक्त सचिव एवं विधायी परामर्शी

उपाबंध

भारत निर्वाचन आयोग

निर्वाचन सदन
अशोक रोड, नई दिल्ली-110001

2006 का निर्देश मामला सं. 88

[भारत के संविधान के अनुच्छेद 103(2) के अधीन भारत के राष्ट्रपति से निर्देश]

निर्देशः भारत के संविधान के अनुच्छेद 102(1)(घ) के अधीन श्रीमती सोनिया गांधी के लोक सभा सदस्या बने रहने के लिए अभिकथित निरर्हता ।

राय

यह भारत के संविधान के अनुच्छेद 103(2) के अधीन भारत के राष्ट्रपति से तारीख 1 जून, 2006 का निर्देश है जिसके द्वारा भारत के संविधान के अनुच्छेद 102(1)(घ) के अधीन श्रीमती सोनिया गांधी आसीन लोक सभा सदस्या की अभिकथित निरर्हता के प्रश्न के संबंध में निर्वाचन आयोग की राय मांगी गई है ।

2. उपरोक्त प्रश्न भारत के संविधान के अनुच्छेद 102 के खंड (1) के उपखंड (घ) के अधीन लोकसभा की सदस्या बने रहने के लिए मई, 2006 में कराए गए उप - निर्वाचन में 19-रायबरेली संसदीय क्षेत्र से लोकसभा के

लिए निर्वाचित श्रीमती सोनिया गांधी की अभिकथित निरर्हता के प्रश्न को उठाते हुए संविधान के अनुच्छेद 103(1) के अधीन भारत के राष्ट्रपति को वाराणसी के श्री औघड़ प्रसांत "बाबा" द्वारा प्रस्तुत की गई तारीख 18 मई, 2006 की याचिका में उठाया गया था । याची ने यह दलील दी है कि उक्त उप - निर्वाचन के लिए नामांकन फाइल करते समय श्रीमती सोनिया गांधी ने रिटर्निंग ऑफिसर के समक्ष अन्य बातों के साथ इस भाव का एक शपथ - पत्र फाइल किया था कि इटली में उनका पैतृक मकान है और इस कारण से वे संविधान के अनुच्छेद 102(1) (घ) के अर्थांतर्गत किसी विदेशी राज्य के प्रति निष्ठा या अनुषक्ति को अभिस्वीकार करती हैं । तदनुसार याची ने भारत के संविधान के अनुच्छेद 103(1) और (2) के अधीन श्रीमती सोनिया गांधी की निरर्हरता के संबंध में समुचित कार्रवाई करने का अनुरोध किया है ।

3. तारीख 18 मई, 2006 की अपनी पूर्वोक्त याचिका में याची के उपरोक्त प्रकथनों से यह प्रकट होता है कि वर्तमान मामले में, श्रीमती सोनिया गांधी के विरुद्ध उल्लिखित अभिकथन यह है कि लोकसभा के उपरोक्त वर्णित उप-निर्वाचन के लिए अपना नामांकन फाइल करने के समय वे एक विदेशी राज्य के प्रति निष्ठा या अनुषक्ति को अभिस्वीकार किए हुए थीं । इस प्रकार यदि कोई अभिकथित निरर्हता का मामला है तो वह निर्वाचन लड़ने के समय का है, अर्थात् निर्वाचन-पूर्व निरर्हता का मामला है।

4. यह सुस्थापित है कि संविधान के अनुच्छेद 103(1) के अधीन संसद के आसीन सदस्य की निरर्हता के प्रश्न को विनिश्चित करने के लिए राष्ट्रपति की अधिकारिता केवल सदन के सदस्य के रूप में निर्वाचन के पश्चात् उपगत निरर्हताओं में ही उत्पन्न होती है । अभिकथित निरर्हता के ऐसे प्रश्न के संबंध में जांच करने के लिए निर्वाचन आयोग की अधिकारिता संविधान के अनुच्छेद 103(2) के अधीन राष्ट्रपति द्वारा उसे निर्दिष्ट किए जाने पर केवल पश्च-निर्वाचन निरर्हता के मामले में भी उत्पन्न होती है । निर्वाचन–पूर्व निरर्हता, अर्थात् ऐसी निरर्हता का कोई प्रश्न जिससे कोई व्यक्ति उसके निर्वाचन के समय या निर्वाचन से पूर्व ग्रस्त था, लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 के भाग-6 के साथ पठित संविधान के अनुचछेद 329(ख) के उपबंध के अनुसार प्रस्तुत की गई किसी निर्वाचन याचिका के द्वारा ही उठाया जा सकता है और न कि अनुच्छेद 103(1) के अधीन । इस संबंध में निर्वाचन आयोग बनाम सका वेंकटा राव (एआईआर 1953 एससी 201); बृंदाबन नायक बनाम निर्वाचन आयोग (एआईआर 1965 एससी 1892); निर्वाचन आयोग बनाम एन.जी. रंगा (एआईआर 1978 एससी 1609); आदि के मामले में उच्चतम न्यायालय के विनिश्चयों की श्रृंखला निर्देश का उल्लेख किया जाता है । पूर्व में अन्य इसी प्रकार के अनेक मामलों में आयोग ने राष्ट्रपति और राज्यों के राज्यपालों द्वारा आयोग को किए गए निर्देशों के संबंध में इसी प्रकार की राय दी है । इस संदर्भ में प्रो0 विजय कुमार मल्होत्रा से संबंधित 2006 का निर्देश मामला सं0 13 और श्री सुग्रीव सिंह से संबंधित 2006 का निर्देश मामला सं0 27 में निर्वाचन आयोग की हाल ही की रायों का भी अवलोकन किया जा सकता है जहां आयोग द्वारा इसी प्रकार का दृष्टिकोण अपनाया गया है ।

5. उपरोक्त निर्दिष्ट सुस्थापित संवैधानिक स्थिति को ध्यान में रखते हुए श्रीमती सोनिया गांधी की अभिकथित निरर्हता के प्रश्न को, यदि कोई मामला है तो निर्वाचन-पूर्व निरर्हता का मामला है, संविधान के अनुच्छेद 103(1) के अधीन राष्ट्रपति के समक्ष नहीं उठाया जा सकता है । निर्वाचन आयोग के पास ऐसी अभिकथित निर्वाचन -पूर्व निरर्हता के प्रश्न के संबंध में कोई राय अभिव्यक्त करने की भी कोई अधिकारिता नहीं है । अतः, वर्तमान याचिका संविधान के अनुच्छेद 103(1) के निबंधनों के अनुसार राष्ट्रपति के समक्ष चलने योग्य नहीं है ।

6. तदनुसार वर्तमान मामले में राष्ट्रपति से प्राप्त निर्देश को संविधान के अनुच्छेद 103(2) के अधीन भारत निर्वाचन आयोग की उपरोक्त आशय की इस राय के साथ वापस भेजा जाता है कि यह संविधान के अनुच्छेद 103(1) के अधीन चलने योग्य नहीं है ।

ह०	ह०	ह०
(नवीन बी. चावला)	(बी.बी. टंडन)	(एन. गोपालस्वामी)
निर्वाचन आयुक्त	मुख्य निर्वाचन आयुक्त	निर्वाचन आयुक्त

नई दिल्ली:

तारीख: 26 जून, 2006

MINISTRY OF LAW AND JUSTICE

(Legislative Department)

NOTIFICATION

New Delhi, the 14th July, 2006.

S.O. 1098(E).—The following Order made by the President is published for general information :—

ORDER

Whereas a petition dated the 18th May, 2006 of alleged disqualification of Smt. Sonia Gandhi, a sitting Member of Parliament (Lok Sabha) under clause (1) of article 103 of the Constitution has been submitted to the President by Shri Aughar Prasant "BABA" of Varanasi;

And whereas the said petitioner has averred in his petition that at the time of filing nomination for bye-election to the Lok Sabha from 19- Rae Bareli Parliamentary Constituency, Smt. Sonia Gandhi filed an affidavit before the Returning Officer to the effect, *inter alia*, that she owns an ancestral house in Italy and she thereby owes acknowledgement of allegiance or adherence to a foreign State within the meaning of sub-clause (d) of clause(1) of article 102 of the Constitution;

And whereas the opinion of the Election Commission had been sought by the President under a reference dated the 1st June, 2006 under clause (2) of article 103 of the Constitution on the question as to whether Smt. Sonia Gandhi, a sitting Member of Parliament (Lok Sabha) became subject to disqualification for being a Member of Parliament under sub-clause (d) of clause (1) of article 102 of the Constitution;

And whereas the Election Commission has given its opinion (*vide* Annex) that in view of well settled constitutional position, the question of the alleged disqualification of Smt. Sonia Gandhi, being a case of pre-election disqualification, cannot be raised before, or decided by, the President under clause (1) of article 103 of the Constitution and that the present petition is, therefore, not maintainable before the President;

Now, therefore, I, A.P.J. Abdul Kalam, President of India, in exercise of the powers conferred on me under clause (1) of article 103 of the Constitution, do hereby decide that the petition of Shri Aughar Prasant "BABA" of Varanasi, is not maintainable.

12th July, 2006.

President of India

[F. No. H-11026(16)/2006-Leg. II]

N. K. NAMPOOTHIRY, Jt. Secy. and Legislative Counsel

ANNEX

भारत निर्वाचन आयोग
Election Commission of India

निर्वाचन सदन
NIRVACHAN SADAN
अशोक रोड, नई दिल्ली – 110 001
ASHOKA ROAD, NEW DELHI - 110 001

Reference Case No.88 of 2006

[Reference from the President of India under Article 103 (2) of the Constitution of India]

In *re*: Alleged disqualification of Smt. Sonia Gandhi, for being a member of Lok Sabha, under Article 102(1)(d) of the Constitution of India.

OPINION

This is a reference dated 1st June, 2006, from the President of India, seeking the opinion of the Election Commission under Article 103(2) of the Constitution of India, on the question of alleged disqualification of Smt. Sonia Gandhi, a sitting member of Lok Sabha, under Article 102(1)(d) of the Constitution of India.

2. The above question arose on the petition dated 18th May, 2006, submitted by Sh. Aughar Prasant "BABA" of Varanasi, to the President of India, under Article 103(1) of the Constitution, raising the question of alleged disqualification of Smt. Sonia Gandhi, elected to Lok Sabha from 19-Rae Bareli Parliamentary Constituency at the bye election

held in May 2006, for being a member of Lok Sabha under sub-clause (d) of clause (1) of Article 102 of the Constitution of India. The contention in the petition is that at the time of filing nomination for the said bye-election, Smt. Sonia Gandhi filed an affidavit before the Returning Officer to the effect, inter-alia, that she owns an ancestral house in Italy and she thereby owes acknowledgement of allegiance or adherence to a foreign State within the meaning of Article 102(1)(d) of the Constitution. Accordingly, the petitioner has requested to take appropriate action in relation to disqualification of Smt. Sonia Gandhi under Articles 103(1) and (2) of the Constitution of India.

3. From the above averments of the petitioner in his aforesaid petition dated 18th May, 2006, it is apparent that in the present case, the allegation as mentioned against Smt. Sonia Gandhi is that she was under acknowledgement of allegiance or adherence to a foreign State at the time of filing her nomination for the abovementioned bye-election to the Lok Sabha. Thus, this is a case of alleged disqualification, if at all, at the time of contesting election, that is to say, a case of pre-election disqualification, if at all.

4. It is well settled that under Article 103(1) of the Constitution of India, the jurisdiction of the President to decide question of disqualification of a sitting member of Parliament arises only in disqualifications incurred after election as a member of the House. The jurisdiction of the Election Commission to inquire into such question of alleged disqualification, on being referred to it by the President under Article 103(2) of the Constitution, also arises only in case of post-election disqualification. Any question of pre-election disqualification, i.e. disqualification from which a person was suffering at the time of, or prior to his election, can be raised by means of an election petition presented in accordance with the provision of Art. 329(b) of the Constitution read with Part-VI of the Representation of the People Act, 1951, and not under Article 103(1). Reference is invited, in this connection, to the Supreme Court's catena of decisions in Election Commission Vs. Saka Venkata Rao (AIR 1953 SC 201); Brundaban Naik Vs. Election Commission (AIR 1965 SC 1892); Election Commission Vs. N.G. Ranga (AIR 1978 SC 1609); etc. In a very large number of other similar cases in the past, the Commission has given similar opinion, on the references made to it by the President and Governors of States. In this context, the very recent opinions of Election Commission in Reference Case No. 13 of 2006 relating to Prof. Vijay Kumar Malhotra and No.27 of 2006 relating to Shri Sugrib Singh, may also be seen, where a similar view has been taken by the Commission.

5. In view of the well settled constitutional position, referred to above, the question of the alleged disqualification of Smt. Sonia Gandhi, being a case of pre-election disqualification, if at all any disqualification was attracted, cannot be raised before the President under Article 103(1) of the Constitution. The Election commission also has no jurisdiction to express any opinion on the question of such alleged pre-election disqualification. The present petition is, therefore, not maintainable before the President in terms of Article 103(1) of the Constitution.

6. The reference received from the President, in the present case, is accordingly, returned with the opinion of the Election Commission of India, under Article 103(2) of the Constitution, to the above effect that it is not maintainable under Article 103(1) of the Constitution.

(Navin B.Chawla)	(B.B.Tandon)	(N.Gopalaswami)
Election Commissioner	**Chief Election Commissioner**	**Election Commissioner**

Place: New Delhi
Dated: 26th June, 2006

Printed by the Manager, Govt. of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.